न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजनांदगांव,
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

//प्रारूप– ड//
(नियम 3 (तीन) देखिए)
//अनुमति//

क्र0/3741/अ0वि0अ0/ प्रवा0–1/2025 राजनांदगांव, दिनांक 23/07/2025

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
वन मण्डल– राजनांदगांव
जिला– राजनांदगांव

विषय :– वृक्ष की कटाई की अनुमति बावत।

प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव के द्वारा जिला न्यायालय परिसर स्थित सायकल स्टैण्ड के पास स्थित एक पुराना बड़ा आकार का पेड़ जो आंधी तुफान के कारण अत्यधिक झुग गया है और जमीन पर भी दरार बन गई है, जिसके कारण अप्रिय घटना घटित न हो, समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित पत्र के संबंध में प्रकरण कमांक 202507090800085अ–62 वर्ष 2024–25 में दिनांक 23/07/2025 को आदेश पारित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार राजनांदगांव द्वारा राजस्व निरीक्षक एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी के संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार ग्राम राजनांदगांव प0ह0 नं. 48 रा.नि.म. राजनांदगांव तह. व जिला राजनांदगांव में स्थित भूमि खसरा नंबर 6/1 रकबा 3.358हे शासकीय भूमि उक्त भूमि पर जिला न्यायालय परिसर में स्थित 01 नग बड़ा पेल्टा फार्म का पेड़ लगा हुआ, पेड़ की गोलाई 2.00 मीटर है। पेड़ के झुकने के कारण जमीन पर भी दरार पड़ गई है। उक्त पेड़ के कभी भी बारिश/आंधी/तुफान से गिरने से अप्रिय घटना एवं क्षति की संभावना बनी हुई। मौके पर स्थित 01 नग पेल्टा फार्म वृक्ष के कटाई की अनुशंसा की गई है। प्रकरण के परीक्षण उपरांत संलग्न संयुक्त जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग को कुल 01 नग पेल्टा फार्म वृक्ष को काटने की अनुमति निम्न शर्तों के अध्यधीन दी गई है :–

(1) उक्त वृक्षों का विदोहन एवं परिवहन वन विभाग के सक्षम अधिकारी नियम 8 (2) के परिपालन में सुनिश्चित करेगें।
(2) उक्त वृक्षों का विदोहन वन विभाग के सक्षम अधिकारी की निगरानी में स्वयं के व्यय पर उनके आदेशानुसार सुनिश्चित करेगें।
(3) छ0ग0 वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 (क्रमांक 09 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।
(4) यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अतः वृक्ष कटाई नियम 2022 के नियम 8 (2) का पालन करते हुये उपरोक्तानुसार आदेशित वृक्षो को काटे जाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– आदेश की प्रति।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
राजनांदगांव (छ0ग0)

Scanned with CamScanner

राजनांदगांव, दिनांक 23/07/2025

पृ0 क्रमांक/3743/अविअ/प्रवा0–1/2025

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला– राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी नजारत अनुविभाग राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
3. तहसीलदार राजनांदगांव को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु अग्रेषित।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सत्यमेव जयते राजनांदगांव (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
राजनांदगांव

Scanned with CamScanner